FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0098 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/04/2025 17:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/04/2025 **Date To (दिनांक तक):** 22/04/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:30 बजे **Time To (समय तक):** 18:23 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/04/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/04/2025 17:16:38 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** AAROPI KA KIRAYE KA KAMARA, SHIVAJI NAGAR CHHIPABAROD, JILA BARAN

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम):

   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** SADHURAM
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** MADHOLAL
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1983 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM SUKHNEREE, CHHIPABAROD, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM SUKHNEREE, CHHIPABAROD, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ASHVANI SINGH		पिता:TULSI SINGH	1. GRAM BAGRU RAVAAN,SANGANER,JAIPUR CITY

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 16.04.2025 को ब्यूरो मुख्यालय की हैल्प नम्बर 1064 से परिवादी श्री साधूराम मे मम्पर्क कर ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाने पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री साधुराम पुत्र श्री माधोलाल जाति नागर निवासी सुखनेरी पोस्ट बिलण्डी तह0 छीपाबडौद के मोबाईल नम्बर [redacted]र मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल किया तो परिवादी श्री साधूराम ने बताया कि "प्रार्थी ग्राम सुखनेरी तह0 छीपाबडौद जिला बारां का रहने वाला हूं। मेरे पिता श्री माधोलाल जी का मकान गांव में बना हुआ है जो परवन सिंचाई परियोजना में डूब क्षैत्र में आ जाने से मकान का मुआवजा प्राप्त होना है। हमारे मकान में बोरवेल लगा हुआ है जिसका भी मुआवजा प्राप्त होना है। सर्वे के दौरान बोरवेल नही बताया गया था इस सम्बन्ध में मैं हमारे गांव के पटवारी श्री अश्वनी सिंह जी से जाकर मिला तो उन्होनें मुझसे बोरवेल के साथ मकान का मुआवजा दिलवाने की एवज में 7500/- रूपये व मुआवजा राशि का दस परसेन्ट राशि की मांग कर रहा है। मैं अश्वनी सिंह पटवारी जी को रिश्वत राशि नही देना चाहता। मैं उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी अश्वनी सिंह पटवारी जी से कोई रंजिश नही है। और ना ही हमारा कोई उधारी का लेनदेन शेष है। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।" इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को एसीबी कार्यालय आने को कहा तो परिवादी साधुराम ने बताया कि मैं बारां आपके कार्यालय में आने में असमर्थ हूं आपके कार्यालय के किसी कर्मचारी को छीपाबडौद भिजवा दीजिए। परिवादी के जर्ये मोबाईल मौखिक दरयाफ्त से मामला पी0सी0 एक्ट का पाया जाता है। अतः रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर कार्यालय के श्री जावेद अख्तर कानि0 25 को बुलाकर मालखाने से डीवीआर मय मैमोरी कार्ड निकलवाया जाकर मेमोरी कार्ड को डीवीआर में लगाकर चैक कर सुपुर्द किया तथा छीपाबडौद जाने की हिदायत कर परिवादी श्री साधुराम से सम्पर्क कर परिवादी साधुराम से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन करवाने बाबत निर्देश दिये गये। फर्द सुपुर्दगी डीवीआर प्रथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 5.00 पीएम पर श्री जावेद अख्तर कानि0 25 को डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी श्री साधुराम नागर से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कस्बा छीपाबडौद रवाना किया गया। समय 7.59 पीएम पर श्री जावेद अख्तर कानि0 25 ने जर्ये मोबाईल कॉल कर मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि " मैं निर्देशानुसार कस्बा छीपाबडौद पहुंचा जहां परिवादी श्री साधुराम नागर गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिलें। परिवादी श्री साधुराम नागर से लिखित प्रार्थना पत्र लेकर परिवादी को डीजीटल वाईस रिकार्डर को चालू बन्द करने की विधी समझाकर वार्ता रिकार्ड करने का तरीका समझाया। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी श्री साधुराम नागर को डीवीआर चालू कर सुपुर्द कर आरोपी श्री अश्वनी सिंह जी पटवारी, पटवार हल्का बिलण्डी के पास वार्ता करने समय 07.30 पीएम पर पटवारी जी के निवास किराये के मकान शिवाजी कोलोनी छीपाबडौद रवाना किया। मैं आरोपी के कमरे के आसपास निगरानी करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद परिवादी श्री साधुराम नागर मेरे पास आया जिससे मैंने डीवीआर लेकर बन्द किया व अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि "मैं डीवीआर लेकर श्री अश्वनी सिंह पटवारी जी के पास उनके किराये के कमरे शिवाजी कोलोनी छीपाबडौद गया था। जिससे मैने मेरे मकान व मकान में लगी ट्यूबवैल का सर्वे में दर्शाने हेतु श्री अश्वनी सिंह पटवारी से बात की तो श्री अश्वनी सिंह पटवारी जी ने मुझसे साढे सात हजार रूपये अभी व चैक बनने पर चैक राशि का दस प्रतिशत राशि की अलग से मांग की। जिस पर मैंने 3000 रूपये रिश्वत मांग के सत्यापन के दौरान श्री अश्वनी सिंह पटवारी जी को दे दिये है। बाकि साढे चार हजार रूपये पटवारी जी ने एक दो दिन में मांगे है। इस पर मैं वार्ता कर आपके पास आया हूं। मेरे व श्री अश्वनी सिंह पटवारी के बीच जो वार्ता हुई वह इस डीवीआर में रिकार्ड है" मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री जावेद अख्तर कानि0 25 के मोबाईल से परिवादी श्री साधुराम नागर से वार्ता की तो परिवादी ने श्री जावेद अख्तर कानि0 25 के कथनो की ताईद की। परिवादी को श्री जावेद अख्तर कानि0 25 के साथ एसीबी कार्यालय बारां आने को कहा तो परिवादी ने जरूरी काम होने से आने में असमर्थता व्यक्त की। परिवादी से ट्रेप कार्यवाही करवाने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया कि "मैं दिनांक 21.04.2025 को रिश्वत राशि की व्यवस्था करके आपको सुचित कर दूंगा" इस पर जावेद अख्तर कानि0 25 को बन्दशुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर व परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र लाकर मन उप पुलिस अधीक्षक को पेश करने व परिवादी को वही से ही सकुशल रूखसत करने के निर्देश दिये। समय 10.00 पीएम पर श्री जावेद

अख्तर कानि0 25 वापस उपस्थित कार्यालय आया। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड तथा परिवादी श्री साधुराम नागर का लिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मैं निर्देशानुसार कस्बा छीपाबडौद पहुंचा जहां परिवादी श्री साधुराम नागर गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिला। परिवादी श्री साधुराम नागर से लिखित प्रार्थना पत्र लेकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू बन्द करने की विधी समझाकर वार्ता रिकार्ड करने का तरीका समझाया। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी श्री साधुराम नागर को डीवीआर चालू कर सुपुर्द कर आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी के पास समय 07.30 पीएम पर उसके निवास किराये के कमरे शिवाजी कॉलोनी छीपाबडौद रवाना किया मैं आरोपी के निवास के आसपास निगरानी करने लगा। लगभग बीस मिनट बाद परिवादी श्री साधुराम नागर मेरे पास आया जिससे मैंने डीवीआर लेकर बन्द किया व अपने पास सुरक्षित रखा। हालात मैंने आपको जर्ये मोबाईल अवगत कराये थे। परिवादी को निर्देशानुसार जरूरी काम होने से रूखसत कर डिवीआर मय मैमोरी कार्ड व परिवादी का प्रार्थना पत्र लेकर एसीबी चौकी बारां आया हुं। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को चालू कर सुना गया तो रिश्वत मांग की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द प्राप्ती डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आईन्दा परिवादी एवं गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत ~~मांग~~ सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाना तय हुआ। दिनांक 21.04.2025 को समय 4.00 पीएम पर परिवादी श्री साधुराम ने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जर्ये वाट्सअप कॉल कर अवगत कराया कि रिश्वत राशि 4500/- रूपये की व्यवस्था हो गई है। मैं दिनांक 22.04.2025 को आपको छीपाबडौद में ही रिश्वत राशि के साथ उपस्थित मिलूंगा। दिनांक 22.04.2025 को श्री अश्वनी सिंह पटवारी जी मुझसे रिश्वत राशि ले सकते है। इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर दिनांक 22.04.2025 को रिश्वत राशि 4500/- रूपये सहित छीपाबडौद में गोपनीय स्थान पर मिलने की हिदायत की गई। दिनांक 22.04.2025 को समय 2.00 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाह की तलबी हेतु कार्यालय पत्रांक 317 दिनांक 22.04.2025 तैयार कर श्री विक्रम सिंह कानिस्टेबल 23 को सुपुर्द कर दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित लाने हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बारां रवाना किया गया। समय 2.30 पीएम पर श्री विक्रम सिंह कानि0 23 कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बारां का पत्रांक 200-201 दिनांक 22.04.2025 मय दो स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया वरिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बारां एवं श्री रिंकू कुमार मीणा कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बारां के साथ उपस्थित आया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान से परिचय प्राप्त कर होने वाली ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 16.04.2025 को पेश प्रार्थना पत्र पढवाकर ट्रेप कार्यवाही में साथ रहकर सहयोग हेतु सहमति चाही गई तो दोनो स्वत्नत्र गवाहान ने मौखिक सहमति देकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय 4.00 पीएम पर मन् प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मालखाना से निकलवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी सरकारी वाहन के डेशबोर्ड में श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 से रखवाया तत्पश्चात श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 के हाथ साबुन एवं साफ पानी से धुलवाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता श्री ज्ञानचंद सहायक उप निरीक्षक, श्री उमाशंकर हैड कानि0 125, श्री दिनेश कुमार कानि0 360, श्री बबलेश कानि0 261, श्री विक्रम कानि0 23, श्री जावेद कानि0 25, श्री दुर्गेश कानि0 34 मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया एवं श्री रिंकू कुमार मीणा के प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन, चालक श्री नरेन्द्र सिंह 530 के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के कस्बा छीपाबडौद ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। परिवादी श्री साधूराम को छीपाबडौद में गोपनीय स्थान पर रिश्वत राशि सहित मिलने के लिए जर्ये मोबाईल पाबन्द किया गया। समय 5.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रेमचन्द मय हमराहियान, ट्रेप उपकरण व साथ लाये वाहनो से कस्बा छीपाबडौद में परिवादी के निजी आवास पर पहुंचा जहां परिवादी श्री साधूराम उपस्थित मिला। परिवादी श्री साधूराम व स्वतन्त्र गवाहान श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया व श्री रिकूं कुमार मीणा का आपसी परिचय करवाया गया। समय 5.40 पीएम पर परिवादी से रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष पांच पांच सौ रूपये के 09 नोट कुल 4500/- रूपये मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है क्र.स नोट का विवरण
नोट का नम्बर 1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3NE862618 2 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर
4FF089337 3 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5ET944578 4 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर
0GL147264 5 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0DF383617 6 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर
2HE119119 7 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8AL551475 8 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर
9VD700506 9 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8HD167042 उपरोक्त नोटों के नम्बरो का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाकर उनकी उपस्थिति में परिवादी के आवास पर श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सरकारी वाहन के डेश बॉर्ड से निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफ्थलीन पावडर लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री साधूराम की

तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रिंकू कुमार मीणा से लिवाई जाकर परिवादी श्री साधूराम के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 4500 रूपयों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 से रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 के हाथ की उंगलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को दोनों स्वतंत्र गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध व्यक्ति ने रिश्वत राशि प्राप्त की है। समझाईश प्रक्रिया के बाद डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिकवाया तथा जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को एवं डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा मैने भी अपने हाथ साबुन व साफ पानी से धोये। परिवादी श्री साधूराम को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं ~~छुवे एवं~~ आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री साधूराम को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे या अपने मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल करें। डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की गई। फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ व पढकर सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। श्री उमाशंकर हैड कानि0 को फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात मय फिनॉफ्थलीन पावडर की शिशी सहित एसीबी चौकी बारां रवाना किया गया। समय 6.12 पीएम पर परिवादी श्री साधूराम को उसकी मोटरसाईकिल से डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के चालू करवाकर आरोपी श्री अश्वनी सिंह हल्का पटवारी बिलण्डी के किराये के कमरे शिवाजी कोलोनी छीपाबडौद रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी टीम के साथ लाये वाहनो से परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर आरोपी के किराये के मकान शिवाजी कोलोनी छीपाबडौद के आसपास वाहनो को खडा कर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के छुपाव हासिल करते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में ट्रेप जाल बिछाया गया। समय 6.23 पीएम पर परिवादी श्री साधुराम पुत्र श्री माधोलाल जाति नागर उम्र 42 साल निवासी सुखनेरी तह0 छीपाबडौद जिला बारां ने शिवाजी कालोनी स्थित आरोपी के किराये के कमरे के बाहर आकर रिश्वत लेनदेन का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया। इस पर मन उप अधीक्षक प्रेमचंद मय स्टाफ मय स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया एवं श्री रिंकू कुमार मीणा के साथ परिवादी श्री साधुराम के पास पहुंचा। परिवादी के पास से डी.वी.आर. लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि पटवारी श्री अश्वनी सिंह ने रिश्वत राशि 4500/- रूपये मुझसे दिवार में बनी अलमारी में नीचे के खाने में बिछे कागज के उपर रखवाई है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी एवं एसीबी जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान को साथ लेकर आरोपी के किराये के कमरे के गेट पर पहुंचा तो एक व्यक्ति पजामा शर्ट पहने सामने खडा हुआ मिला। जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही अश्वनी सिंह पटवारी जी है। इस पर उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर आने का उद्देश्य बताया तथा उससे उसका नाम पता पूछा तो वह व्यक्ति एक दम से घबरा गया जिसे तसल्ली देकर बैठाया तथा उससे उसका नाम पता पुनः पूछा तो उसने अपना नाम श्री अश्वनी सिंह पुत्र श्री तुलसी सिंह जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी ग्राम बगरू रावान तह0 सांगानेर जिला जयपुर हाल हल्का पटवारी कुम्भाखेडी व अतिरिक्त चार्ज बिलण्डी तह0 छीपाबडौद जिला बारां होना बताया। आरोपी से जब परिवादी साधुराम से ली गई रिश्वत राशि 4500/- रूपये के संबंध में पूछा तो आरोपी ने दीवार में बनी अलमारी के नीचे के खाने में रखी होना बताया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी का दायां हाथ श्री जावेद कानि0 25 व आरोपी का बायां हाथ श्री विक्रम कानि0 23 से कलाई के उपर पकडवाया जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया से अलमारी में रखी रिश्वत राशि की तलाशी करवाई तो अलमारी में कपडो के निचे कागज पर पांच-पांच सौ रूपये के नोट मिले जिनको स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के कुल नौ नोट होना पाया गया। रिश्वत राशि 4500/- रूपये के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतन्त्र गवाह से फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर से करवाया गया तो हू ब हू उसी नम्बर के नोट होना पाया गया। बरामद नोटो के नम्बर निम्न प्रकार है- क्र.स नोट का विवरण नोट का नम्बर 1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3NE862618 2 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4FF089337 3 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5ET944578 4 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0GL147264 5 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0DF383617 6 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2HE119119 7 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8AL551475 8 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9VD700506 9 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8HD167042 बरामद रिश्वत राशि पांच-पांच

सौ के नौ नोट कुल 4500/-रूपये को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर लिफाफे पर विवरण अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी के कमरे में दीवार की अलमारी में कागज के उपर से रिश्वत राशि बरामद हुई है। अतः अलमारी के कागज का धौवन लेना आवश्यक होने से श्री दुर्गेश कानि0 34 से कमरे में रखी पानी की बोतल भरवाकर मंगवाई गई तथा एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया गया। गिलास के घोल का रंग रंगहीन ही रहा जिसे परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। कपडे की चिन्दी लेकर पानी में डुबाकर अलमारी में बिछे कागज के उपर रगडकर डिस्पोजल गिलास में धुलवाई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीशीयां में आधा-आधा भरवाकर कर सील मोहर किया गया। शीशीयों पर मार्क P-1, P-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। कपडे की चिन्दी को पंखे की हवा में सुखाने के लिए रखा गया। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष आरोपी के हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री दुर्गेश कानि0 34 से पानी की बोतल में साफ पानी मंगवा कर दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनो गिलासों के घोल का रंग रंगहीन ही रहा जिसे परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। तत्पश्चात इस घोल के एक गिलास में आरोपी अश्वनी सिंह के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीशीयां में आधा-आधा भरवाकर कर सील चिट मोहर किया गया। शीशीयों पर मार्क R-1, R-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी अश्वनी सिंह पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे साफ कॉच की दो शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर कर सीलचिट मोहर किया गया। शीशीयों पर मार्क L-1, L-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। दीवार की अलमारी में बिछे कागज जिस पर रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उस कागज को पैन से मार्क कर उस पर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलमारी में बिछे कागज व धुलाई में काम में ली गई कपडे की चिन्दी को एक कपडे की थैली में रखकर सिलमोहर कर मार्क- P दिया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री अश्वनी सिंह से परिवादी श्री साधूराम से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 4500/- रूपये के सम्बन्ध में पुछताछ की गई तो आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी ने बताया "मैं सुखनेरी में परवन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षैत्र का सर्वे करने के लिए गया था। उसके बाद दिनांक 16.04.2025 श्री साधूराम मेरे पास आये थे जिन्होने सुखनेरी में उनके निजी आवास पर सर्वे के दौरान टयूबवैल अंकित करने के लिए कहा था। मैंने साधूराम जी से टयूबवैल दर्शाने के लिए साढे सात हजार रूपये की कहा था जिस पर श्री साधूराम ने उस दिन मुझे तीन हजार रूपये दिये थे जिनको मैंने अपने पास रख लिये थे। तथा बाकि साढे चार हजार रूपये मैंने साधूराम जी को एक दो दिन में देने के लिए कहा था। तथा मुआवजा राशि का चैक आने पर मुआवजा राशि का दस परसेन्ट देने का भी साधूराम से कहा था। आज साधूराम मेरे पास शिवाजी कोलोनी छीपाबडौद में स्थित किराये के कमरे पर साढे चार हजार रूपये लेकर आया था। जिनको मैंने दीवार में बनी अलमारी में रखने की कहने पर साधूराम ने साढे चार हजार रूपये दीवार में बनी अलमारी में नीचे वाले खाने में बिछे कागज पर रख दिये। साधूराम जी के कमरे से जाने के बाद मैंने अलमारी के नीचे वाले खाने में रखे साढे चार हजार रूपये को गिना इसी दौरान बाहर आहट होने से उसी स्थान पर रखकर उसके उपर कपडे रख दिये। इतने में आप लोग आ गये।" तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त किये गये 3000 रूपये के संबंध में पूछने पर पटवारी श्री अश्वनी सिंह ने बताया कि वह राशि मुझसे खर्च हो गई है। तत्पश्चात आरोपी श्री अश्वनी सिंह से परिवादी के पैण्डिग कार्य के सम्बन्ध में दस्तावेज के बारे में पुछा तो आरोपी ने परिवादी श्री साधूराम के पिता श्री माधोलाल के सम्बन्ध में एवार्ड लिस्ट पेश की जिसका अवलोकन करने पर क्रम संख्या 33 पर परिवादी श्री साधूराम के पिता श्री माधोलाल पुत्र गजानन्द नागर अंकित है तथा आरोपी ने उक्त नाम के सामने नीले पैन से ओके करना है लिखा हुआ है। उक्त दस्तावेजो पर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा आरोपी श्री अश्वनी सिंह का आधार कार्ड संख्या 4869 3666 8839 लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद प्रयोग में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को बाहर जलवाकर नष्ट करवाया गया। आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी की हाथ धुलाई, अलमारी के कागज की धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग विधिक प्रावधानो के तहत मोबाईल में पृथक से मैमोरी कार्ड लगाकर तैयार की गई। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई नियमानुसार मुर्तिब कर सम्बन्धितों को पढकर सुनाई गई। पढकर, सुन समझकर सही होना स्वीकार कर अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय 8.30 पीएम पर रोड लाईट एवं कमरे में लगी लाईट के पर्याप्त प्रकाश में मन उप अधीक्षक पुलिस ने घटनास्थल आरोपी के किराये के कमरे शिवाजी कोलोनी छीपाबडौद का स्वतन्त्र गवाहान श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया एवं श्री रिंकू कुमार मीणा की मौजूदगी में परिवादी श्री साधूराम की निशादेही से रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका नियमानुसार मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर फर्द नक्शा मौका शामिल पत्रावली किया गया। समय 9.10 पीएम पर आरोपी से पुछने पर उसने बताया कि किराये के कमरे में मेरे साथी पटवारी श्री हर्षप्रताप सिंह हल्का पटवारी खेडला जागीर भी निवासरत

है, तथा कमरे में उसी के सामान है। मैं उसी के साथ शामलाती निवास कर रहा हूं। इसलिए उक्त किराये के कमरे की खाना तलाशी नही ली गई। समय 9.15 पीएम पर बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही के पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाप्ता एवं ट्रेप उपकरण तथा मय आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी को साथ लेकर पुलिस थाना छीपाबडौद के लिए रवाना हुआ। समय 9.20 पीएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय ट्रेप उपकरण, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी को साथ लेकर थाना छीपाबडौद पहुंचा। जहां थानाधिकारी श्री अजित सिंह उप निरीक्षक पुलिस से ट्रेप कार्यवाही के लिए अलग से कमरे के लिए निवेदन करने पर श्री अजित सिंह उप निरीक्षक पुलिस ने ट्रेप कार्यवाही हेतु कम्प्यूटर रूम की सहमति दी। मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस अग्रिम कार्यवाही में मशरूक हुआ। समय 9.30 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 16.04.2025 को हुई मोबाईल वार्ता जो कार्यालय के डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी को श्री जावेद अख्तर कानि0 25 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लगवाकर स्पीकर ऑन कर स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी की होना बताया। मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में आरोपी व परिवादी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता फाईल नम्बर [redacted] (28 सैकण्ड) की फर्द ट्रांसक्रिप्ट प्रथक से हू ब हू टाईप करवाकर श्री जावेद कानि0 25 से तैयार करवाई गयी जिसे गवाहो तथा परिवादी को पढवाया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 9.35 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 16.04.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी को श्री जावेद अख्तर कानि0 25 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लगवाकर स्पीकर ऑन कर स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी की होना बताया। मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फाईल नम्बर [redacted] (17 मिनट 13 सैकण्ड) की फर्द ट्रांसक्रिप्ट प्रथक से हू ब हू टाईप करवाकर श्री जावेद कानि0 25 से तैयार करवाई गयी जिसे गवाहो तथा परिवादी को पढवाया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.30 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 22.04.2025 को हुई मोबाईल वार्ता जो कार्यालय के डीवीआर में रिकार्ड थी को श्री जावेद अख्तर कानि0 25 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लगवाकर स्पीकर ऑन कर स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी की होना बताया। मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में मोबाईल वार्ता फाईल नम्बर [redacted](38 सैकण्ड) की फर्द ट्रांसक्रिप्ट प्रथक से हू ब हू टाईप करवाकर श्री जावेद कानि0 25 से तैयार करवाई गयी जिसे गवाहो तथा परिवादी को पढवाया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.40 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 22.04.2025 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जो कार्यालय के डीवीआर में रिकार्ड थी को श्री जावेद अख्तर कानि0 25 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लगवाकर स्पीकर ऑन कर स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी की होना बताया। मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में रिश्वत लेनदेन वार्ता फाईल नम्बर[redacted] (11 मिनट 37 सैकण्ड) की फर्द ट्रांसक्रिप्ट प्रथक से हू ब हू टाईप करवाकर श्री जावेद कानि0 25 से तैयार करवाई गयी जिसे गवाहो तथा परिवादी को पढवाया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 23.04.2025 को समय 12.45 एएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जर्ये नोटिस श्री अश्वनी सिंह पुत्र श्री तुलसी सिंह जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी ग्राम बगरू रावान तह0 सांगानेर जिला जयपुर हाल हल्का पटवारी कुम्भाखेडी व अतिरिक्त चार्ज बिलण्डी तह0 छीपाबडौद को सूचित किया गया कि आप द्वारा परिवादी साधूराम से दिनांक 16.04.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 7500/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा 3000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। तत्पश्चात दिनांक 22.04.2025 को रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान शेष रिश्वत राशि 4500/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया है। उक्त वार्ताओं को सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर/मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त रिकॉर्ड की गई वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की आवश्यकता है। अतः आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें। आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया तथा आरोपी ने फर्द पर " मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हू" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द नमूना आवाज नोटिस पर स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 1.15 एएम पर आरोपी श्री अश्वनी सिंह हल्का पटवारी बिलण्डी की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने व आरोपी द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना होने से आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक है। स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री अश्वनी सिंह पुत्र श्री तुलसी सिंह जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी ग्राम बगरू रावान तह0 सांगानेर जिला जयपुर हाल हल्का पटवारी कुम्भाखेडी व अतिरिक्त चार्ज बिलण्डी तह0 छीपाबडौद को मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पूर्ण पद का परिचय देकर अवगत कराया कि आप द्वारा परिवादी साधूराम से दिनांक 16.04.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 7500/- रूपये रिश्वत राशि की

मांग की गई तथा 3000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। तत्पश्चात दिनांक 22.04.2025 को रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान शेष रिश्वत राशि 4500/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया से लिवाई गई तो आरोपी के पास सैमसंग कम्पनी का हल्के नीले रंग का मॉडल गैलेक्सी एफ23 5जी मिला जिसमें एक सिम जियो कम्पनी की नम्बर [redacted] व दूसरी सिम वोडाफोन कम्पनी की नम्बर [redacted] लगी हुई है। कार्यवाही के दौरान परिवादी व आरोपी के मध्य मोबाईल पर वार्ता होना पाया गया है। अतः उक्त मोबाईल को कार्यवाही में वांछित होने से जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री अश्वनी सिंह पुत्र श्री तुलसी सिंह जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी ग्राम बगरू रावान तह0 सांगानेर जिला जयपुर हाल हल्का पटवारी कुम्भाखेडी व अतिरिक्त चार्ज बिलण्डी तह0 छीपाबडौद को गिरफ्तारी के आधार तथा कारणों एवं उसके संवेधानिक अधिकारों से भली भांति अवगत कराने के उपरान्त बसबूत जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के साथी पटवारी श्यामसिंह जी को मोबाईल नम्बर [redacted] पर दी गई। समय 1.45 एएम स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 16.04.2025 को परिवादी श्री साधूराम व आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता फाईल नम्बर 250416-1917 (28 सैकण्ड) व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फाईल नम्बर [redacted] (17 मिनट 13 सैकण्ड) जो मूल मैमोरी कार्ड में सेव है तथा दिनांक 22.04.2025 को हुई मोबाईल वार्ता फाईल नम्बर 250422-1803 (38 सैकण्ड) एवं रिश्वत लेन देन वार्ता फाईल नम्बर 250422-1812 (11 मिनट 37 सैकण्ड) जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर इन्टरनल मैमोरी में सेव है को श्री जावेद कानि0 25 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटॉप से 03 पेन ड्राईव SANDISK 32 GB कलर लाल एवं ब्लेक में डब करवाये गये। जिसमें से एक पेन ड्राईव वजह सबूत नमूना आवाज कार्यवाही के लिए, एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैलियों में पृथक-पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जर्ये लेपटॉप मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्यू की गणना MD5 एवं SHA1 में कर प्रिन्ट निकालकर पृथक से शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में उपयोग किये गये मूल मेमोरी कार्ड KDM 32 GB ब्लेक कलर मय डीवीआर मेक सोनी कम्पनी ICD UX560F बरंग ब्लेक को माननीय न्यायालय के लिये एक कपडें की थैली में रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 2.30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही की सैम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात परिवादी श्री साधूराम को सकुशल रूखसत किया गया। मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता श्री ज्ञानचन्द स0उ0नि0, श्री दिनेश कानि0 360, श्री बबलेश कानि0 261, श्री विक्रम सिंह कानि0 23, श्री दुर्गेश कानि0 34, श्री जावेद अख्तर कानि0 25 तथा स्वतन्त्र गवाहान श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया व श्री रिंकू कुमार मीणा मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप,प्रिन्टर तथा जप्तशुदा आर्टीकल्स व गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अश्वनी सिंह के साथ लाये वाहनो तथा चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 के एसीबी बारां रवाना हुआ। समय 4.00 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय ट्रेप उपकरण, जप्तशुदा आर्टीकल्स मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अश्वनी सिंह के एसीबी चौकी बारां पहुंचा। जप्तशुदा आर्टीकल्स को श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 को सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये। स्वतन्त्र गवाहान को बाद कार्यवाही सकुशल रूखसत किया गया। आरोपी को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में बिठाया गया। संपूर्ण कार्यवाही एवं हालात से पाया गया कि दिनांक 16.04.2025 को परिवादी श्री साधुराम पुत्र श्री माधोलाल जाति नागर निवासी सुखनेरी पोस्ट बिलेण्डी तह0 छीपाबडौद ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि "प्रार्थी ग्राम सुखनेरी तह0 छीपाबडौद जिला बारां का रहने वाला हूं। मेरे पिता श्री माधोलाल जी का मकान गांव में बना हुआ है जो परवन सिंचाई परियोजना में डूब क्षैत्र में आ जाने से मकान का मुआवजा प्राप्त होना है। हमारे मकान में बोरवेल लगा हुआ है जिसका भी मुआवजा प्राप्त होना है। सर्वे के दौरान बोरवेल नही बताया गया था इस सम्बन्ध में मैं हमारे गांव के पटवारी श्री अश्वनी सिंह जी से जाकर मिला तो उन्होनें मुझसे बोरवेल के साथ मकान का मुआवजा दिलवाने की एवज में 7500/- रूपये व मुआवजा राशि का दस परसेन्ट राशि की मांग कर रहा है। मैं अश्वनी सिंह पटवारी जी को रिश्वत राशि नही देना चाहता। मैं उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी अश्वनी सिंह पटवारी जी से कोई रंजिश नही है। और नाहि हमारा कोई उधारी का लेनदेन शेष है। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।" उक्त शिकायत पर दिनांक 16.04.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी साधूराम से दिनांक 16.04.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी के सुखनेरी तह0 छीपाबडौद में स्थित मकान पर ट्यूबवैल अंकित करने की एवज में 7500/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा 3000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त मुआवजा राशि का चैक पास होने पर 10 प्रतिशत रिश्वत राशि की पृथक से मांग करने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात दिनांक 22.04.2025 को आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर शेष रिश्वत राशि 4500/- रूपये रिश्वत लेन देन वार्ता के समय आरोपी श्री अश्वनी सिंह पटवारी को प्राप्त करते हुए शिवाजी कोलोनी स्थित उसके किराये के कमरे पर रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि आरोपी के किराये के कमरे में दीवार में बनी

अलमारी के नीचे के खाने में बिछे कागज से बरामद की गई। वक्त ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि बरामद होने वाले कागज का धौवन कपडे की चिन्दी द्वारा लिया गया। धौवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे कांच की दो शिशियां में भरकर P-1 व P-2 अंकित कर सीलमोहर कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी के दोनो हाथो का धौवन लिया गया जो भी हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे कांच की अलग अलग शिशियों में भरकर R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर सीलमोहर कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। रिश्वत राशि बरामद होने वाले कागज व चिन्दी को बतौर वजह सबूत कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर कर मार्क P अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री अश्वनी सिंह से परिवादी के पैण्डिग कार्य के सम्बन्ध में दस्तावेज के बारे में पुछा तो आरोपी ने परिवादी श्री साधूराम के पिता श्री माधोलाल के सम्बन्ध में एवार्ड लिस्ट पेश की जिसका अवलोकन करने पर क्रम संख्या 33 पर परिवादी श्री साधूराम के पिता श्री माधोलाल पुत्र गजानन्द नागर अंकित है तथा आरोपी ने उक्त नाम के सामने नीले पैन से ओके करना है लिखा हुआ है। उक्त दस्तावेजो पर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी को ट्रेप कार्यवाही के दौरान नमूना आवाज नोटिस दिया गया जिसमें आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया तथा फर्द पर " मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हुं" अंकित किया। आरोपी को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। दिनांक 16.04.2025 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता प्रथम एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 22.04.2025 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता द्वितिय एंव रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड एवं डबिंग पैन ड्राईव की कार्यवाही कर घटनास्थल का फर्द नक्शा मौका तैयार किया गया। अतः सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही फर्द ट्रास्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.04.2025, फर्द ट्रास्क्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 22.04.2025, आरोपी के धौवन सैम्पल, नमूना आवाज नोटिस व फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व समस्त कार्यवाही से आरोपी श्री अश्वनी सिंह पुत्र श्री तुलसी सिंह जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी ग्राम बगरू रावान तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल हल्का पटवारी पटवार हल्का कुम्भाखेडी व अतिरिक्त चार्ज बिलण्डी तहसील छीपाबडौद जिला बारां के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (प्रेमचन्द) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां................कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बारां ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018 में आरोपी श्री अश्वनी सिंह पुत्र श्री तुलसी सिंह जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी ग्राम बगरू रावान तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल हल्का पटवारी पटवार हल्का कुम्भाखेडी व अतिरिक्त चार्ज बिलण्डी तहसील छीपाबडौद जिला बारां के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अब्दुल साजिद खान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 360 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 562-65 दिनांक 24-04-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां। 2- जिला कलक्टर बारां। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ABDUL SAJID KHAN **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/04/2025 17:[illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	21/11/1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)